प्रवेश प्रक्रिया हेतु आवश्यक निर्देशः सत्र 2019–2020

1 सभी अभ्यर्थी साक्षात्कार/प्रवेश के समय शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी सभी प्रमाण पत्र मूल रूप में लायें।

2 यदि आरक्षित श्रेणी के हैं तो जाति प्रमाण पत्र मूल रूप में साथ लायें। कुछ अभ्यर्थियों का नाम उनके द्वारा अंकित श्रेणी के आधार पर आरक्षित वर्ग में सम्मिलित कर लिया गया है, लेकिन द्वारा प्रवेश के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में उनका नाम अनारक्षित वर्ग में सम्मिलित किया जायेगा।

3 यदि विकलांग हैं तो मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्साधीक्षक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मूल रूप में साथ लायें।

4 टी0सी0 (स्थानान्तरण प्रमाण पत्र) व चरित्र प्रमाण पत्र मूल रूप में साथ लायें।

5 एक फोटो पासपोर्ट साइज व एक टिकिट साइज का साथ लायें।

6 वेब–रजिस्ट्रेशन एवं आधार कार्ड की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी। जिन छात्रों ने वेब–रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे शीघ्र करालें, अन्यथा उनको प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

7 सत्यापन के समय योग्यतांक में कोई त्रुटि पायी जाती है तो संशोधित योग्यतांक के अनुरूप ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

8 किसी अभ्यर्थी के योग्यतांक उक्त सूची के अन्तर्गत आते हैं और उसका नाम सूची में नहीं आया है तो उसको प्रार्थना पत्र मय साक्ष्य के प्रस्तुत करना होगा तथा परीक्षण कर सत्य पाये जाने पर उसका नाम सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

9 किसी भी प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

10 प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात अगले तीन दिन के अन्दर शुल्क जमा करना होगा, अन्यथा प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

11 निर्धारित तिथि को प्रवेश के लिए उपस्थित न होने पर आगे उस पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

12 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप जिन अभ्यर्थियों का नाम मतदाता सूची में है वे प्रवेश के समय आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करें।

13 जिन अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड नहीं है वे उसे बनवाने के लिए आवेदन करदें तथा उसकी रसीद की प्रति प्रवेश के समय प्रस्तुत करें। जिन अभ्यर्थियों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं हुए हैं तथा वह उसके पात्र हैं तो उसके लिए फार्म प्राप्त कर मतदाता सूची में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करें।

(डा0आर0एन0चक्रवर्ती)
संयोजक

दिनांकः 15–07–2019

(डॉ0 हेम प्रकाश)
प्राचार्य